



## कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 21 / भू.अ. / स्था. / पट.प्रशि.चयन / 2018 जांजगीर, दिनांक 04/01/2018

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 2392 / भू.अ. / स्था. / पट.प्रशि.चयन / 2017 जांजगीर, दिनांक 10.11.2017 द्वारा पटवारी प्रशिक्षण चयन हेतु 11 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने के कारण प्रतीक्षा सूची से चयन किया गया था, जिसमें अनारक्षित वर्ग 01 (मुक्त), अनुसूचित जाति वर्ग 02 (मुक्त-1, महिला-1) कुल 03 अभ्यर्थी आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः उपरोक्तानुसार 03 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने के कारण अनारक्षित वर्ग 01 (मुक्त), अनुसूचित जाति वर्ग 02 (मुक्त-1, महिला-1) कुल 03 रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने के लिए पटवारी प्रशिक्षण चयन समिति द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची से निम्नांकित अभ्यर्थियों का पटवारी प्रशिक्षण हेतु निम्न शर्तों के अधीन चयन सूची जारी किया जाता है :-

### अनारक्षित वर्ग

क्र.	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम	पिता / Relation का नाम	लिंग	जन्म तिथि	वर्ग	प्राप्तांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	180180113	NILESH KUMAR DEWANGAN	GAYA PRASAD DEWANGAN	M	13/10/89	OBC	85.714	

### अनुसूचित जाति वर्ग

क्र.	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम	पिता / Relation का नाम	लिंग	जन्म तिथि	वर्ग	प्राप्तांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	180190250	SHAILESH KUMAR	CHAIT RAM	M	08/07/94	SC	77.041	
2	130700066	PRIYA	CHHERKA RAM	F	22/09/94	SC	64.286	

// 2 //

//2//

शर्तें :-

1. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी दिनांक 05.01.2018 तक पटवारी प्रशिक्षण शाला, बिलासपुर में उपस्थित होने के पश्चात् आवश्यक प्रमाण पत्र (10 वीं/12 वीं/स्नातक प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/स्थायी जाति प्रमाण पत्र/रोजगार पंजीयन आदि) सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिये कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- (लेबल 6-25300/-) इसके अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते, एक वर्ष का प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा पूर्ण करने पश्चात् पटवारी के पद पर नियुक्त किये जाने पर देय होगा।
4. चयन में निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
5. चयनित अभ्यर्थी उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखता है, अथवा गलत जानकारी/प्रमाण पत्र के आधार पर चयन प्राप्त किया गया है, तो कभी भी बिना कारण बताये चयन निरस्त कर दी जावेगी। इस संबंध में चयनित अभ्यर्थी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्व सूचना के चयन से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।

*श्रीराम*  
कलेक्टर  
03/01/18  
जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

पृ.क्र./ 22 / भू.अ./स्था./पट.प्रशि.चयन/2018  
प्रतिलिपि :-


जांजगीर, दिनांक 04/01/2018

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक-जिला जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, भू-अभिलेख बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, पटवारी प्रशिक्षण शाला, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

//3//

//3//

7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड हेतु।
8. सर्व संबंधित ..... की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि आप दिनांक 05.01.2018 तक पटवारी प्रशिक्षण शाला, बिलासपुर में उपस्थिति अनिवार्यतः देवें।
9. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

  
कलेक्टर  
जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)